न्यायालय सहायक कलक्टर, फलोदी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी डॉ. अर्चना व्यास (आर.ए.एस.)

वादी

1. जेठाराम पुत्र श्री मोड़ाराम
2. चौथाराम पुत्र श्री मोड़ाराम

जाति भील निवासी कोलूपाबूजी तहसील लोहावट जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रूपाराम पुत्र श्री मोड़ाराम
2. बनाराम पुत्र मोड़ाराम
3. मनोहरी पत्नी देवाराम
4. जुगता पुत्र माणकराम
5. राजो पत्नी जुगताराम
6. पदमाराम पुत्र माणकराम
7. पतासी पत्नी पदमाराम
8. ताजुराम पुत्र मनसुख
9. गोली पत्नी ताजुराम

पारूराम पुत्र मोड़राम फौत के कायम मुकाम संख्या 10 ता 13

10. अणदाराम पुत्र पारूराम
11. चुतराराम पुत्र पारूराम
12. रामूराम पुत्र पारूराम
13. लाछी पत्नी
14. नगाराम पुत्र
15. बिरमाराम पुत्र माणकराम
16. रूगाराम पुत्र नेताराम
17. उदा पुत्र बलू उर्फ बाबूराम
18. मूला पुत्र बलू उर्फ बाबूराम

चेना पुत्र बलू उर्फ बाबूराम फौत के कायम मुकाम संख्या 20 ता 23

19. रामूराम पुत्र चेना
20. डूंगर पुत्र चेना
21. देदा पुत्र चेना
22. लाला पुत्र चेना नाबालिग जरिये कुदरती वली माता राधा पत्नी चेना
23. राधा पत्नी चेना
24. प्रकाश पुत्र देदाराम
25. पूनी पत्नी देदाराम
26. चुतराराम पुत्र पूनाराम
27. हरचंदराम पुत्र पूनाराम
28. खेता पुत्र पूनाराम
29. दुर्गा पुत्र पूनाराम
30. आसु पत्नी पूनाराम
31. कंवराराम पुत्र पेमा
32. बींजाराम पुत्र पेमा
33. सोमारी पुत्री पेमा
34. बिड़दा पुत्र रूगा

सुर[illegible] फौत के कायम मुकाम स[illegible] 36 [illegible]

35. [illegible] सुरता
36. [illegible] सुरता
37. किसनाराम पुत्र सुरता

उम्मेद [illegible] रूगा लाऔलाद फौत जिसके वारिसान् प्रतिवादीगण संख्या 35 ता 38

मगनाराम पुत्र केसरा फौत के कायम मुकाम संख्या 40 ता 43

38. दीपाराम पुत्र मगना
39. तीलाराम पुत्र मगना
40. कानाराम पुत्र मगना
41. डूंगरराम पुत्र मगना

सहायक कलक्टर फलोदी (जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Vyas
Date: 2022.09.23 12:34:29 IST
Reason: SelfAttested

42 अचला पुत्र केसरा
घनाराम पुत्र केसरा फौत के कायम मुकाम
संख्या 45 ता
43 भीयाराम पुत्र घनाराम
44 डूंगरराम पुत्र घनाराम
45 ओमाराम पुत्र घनाराम
46 मगाराम पुत्र घनाराम
47 शम्भुराम पुत्र घनाराम
48 छगनाराम पुत्र घनाराम
49 मोहनराम पुत्र घनाराम
50 बादरा पुत्र केसरा
51 अनोपा पुत्र केसरा
52 सोनाराम पुत्र हरू
53 सरवन पुत्र हरू
54 लालाराम पुत्र हरू
55 गुणेश पुत्र हरू
56 अमलख पुत्र मूरा
57 रूपाराम पुत्र नेना
58 मगाराम पुत्र नेना
सभी जाति भील, निवासीगण
कोलूपाबूजी, तहसील लोहावट, जिला
जोधपुर (राज.)
59 श्रीमान् तहसीलदार फलोदी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

राजस्व मूल वाद संख्या :– 55/2016

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री सुरेन्द्र कुमार विश्नोई एवं भूपेन्द्र कुमार भार्गव वादीगण की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 58 की ओर से कोई उपस्थित नहीं
3. प्रतिवादी सख्या 59 स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक :– 04/04/22

वादीगण के वाद का संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 59 के संयुक्त खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि वाके ग्राम सांवरीज वर्तमान राजस्व ग्राम शिवनगर पटवार क्षेत्र सांवरीज तहसील फलोदी में खेत खसरा नम्बर 729/1 रकबा 184 बीघा 18 बिस्वा भूमि आई हुई है। उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि पूर्व में वादीगण के पूर्वज रताराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी जिनकी वंशावली वाद पत्र में अंकित है। उपरोक्त वंशावली अनुसार उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि में वादीगण के दादा अमराराम को 1/3 हिस्सा भूमि बंट में आती थी तथा उक्त 1/3 हिस्सा में से वादीगण के पिता को 1/15 हिस्सा भूमि बंट में आती है तथा उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/60 हिस्सा भूमि बंट में आती है इसी अनुसार ही उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि में वादीगण का अपने अपने बंट एवं हिस्सा की भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। जब वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या [illegible] के पिता मोड़ाराम फौत हुवे तो उनके फौतेदगी का नामांतरकरण संख्या 790 मौजा सांवरीज भरा [illegible] कर स्वीकृत किया तथा उक्त नामांतरकरण भरते समय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 [illegible] कर मोडाराम का फौतेदगी नामांतकरण अपने एवं वादी सख्या 2 [illegible] स्वीकृत करवा लिया तथा वादी संख्या 1 का नाम जानबुझकर नामांतरकरण में दर्ज करने से [illegible] दिया जबकि वादी संख्या 1 भी मुतवफी मोडाराम का जायन्दा पुत्र है तथा उसका भी उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि में 1/60 हिस्सा भूमि बंट में आती है जिस पर आज दिन तक उसका कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिये वादीगण उक्त विधि विरूद्ध, हिन्दू उताराधिकार अधिनियम के विरूद्ध भरे गये नामांतकरण संख्या 790 मौजा सांवरीज को अपने खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध शुन्य एवं बेअसर घोषित करवाकर उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/60–1/60 हिस्सा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Vyas
Date: 2022.09.23 12:34:29 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है। वादी संख्या 2 का सही एवं वास्तविक नाम चौथाराम पुत्र मोडाराम है तथा इसी नाम से वादी संख्या 2 के परिवार राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आधार कार्ड इत्यादि बने हुवे है। उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि के राजस्व रेकर्ड में मुतवफी मोडाराम का फौतेदगी नामांतरकरण संख्या 790 भरते समय वादी संख्या 2 का नाम चौथाराम पुत्र मोडाराम के स्थान पर चौखाराम पुत्र मोडराम दर्ज कर दिया है जो सरासर गलत एवं विधि विरूद्ध है जबकि वादी संख्या 2 का सही एवं वास्तविक नाम चौथाराम पुत्र मोडाराम है जिसको वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता मोडाराम का दर्ज किया हुआ था जो जमाबदी चौसाला सम्वत् 2047 से 2050 तक दर्ज रहा मगर बाद मे जमाबदी चौसाला सम्वत् 2051 से 2054 तैयार करते समय पटवारी हल्का ने भूल से वादीगण के पिता का नाम मोडाराम के स्थान पर मेगाराम दर्ज कर दिया है जो आज दिन तक बदस्तुर जारी है। वादी उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि के राजस्व रेकर्ड गलत रूप से दर्ज अपने पिता का नाम. मेगाराम को दुरूस्त करवाकर सही एव वास्तविक नाम मोडाराम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से बावजुद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नही हुआ उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 59 तहसीलदार फलोदी ने वादीगण के वाद का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुवे बताया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 59 के संयुक्त खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि वाके ग्राम सांवरीज वर्तमान राजस्व ग्राम शिवनगर पटवार क्षेत्र सांवरीज तहसील फलोदी मे खेत खसरा नम्बर 729/1 रकबा 184 बीघा 18 बिस्वा भूमि आई हुई है। उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि पूर्व में वादीगण के पूर्वज रताराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी जिनकी वंशावली वाद पत्र में अंकित है। उपरोक्त वंशावली अनुसार उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि में वादीगण के दादा अमराराम को 1/3 हिस्सा भूमि बंट में आती थी तथा उक्त 1/3 हिस्सा में से वादीगण के पिता को 1/15 हिस्सा भूमि बंट में आती है तथा उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/60 हिस्सा भूमि बंट में आती है। जब वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता मोडाराम फौत हुवे तो उनके फौतेदगी का नामांतरकरण संख्या 790 मौजा सांवरीज भरा जाकर स्वीकृत किया तथा उक्त नामांतरकरण भरते समय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पटवारी हल्का से मिलावट कर मोडाराम का फौतेदगी नामांतकरण अपने एवं वादी सख्या 2 के नाम भरवा कर स्वीकृत करवा लिया तथा वादी संख्या 1 का नाम जानबुझकर नामांतरकरण में दर्ज करने से छोड़ दिया जबकि वादी संख्या 1 भी मुतवफी मोडाराम का जायन्दा पुत्र है तथा उसका भी उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि में 1/60 हिस्सा भूमि बंट में आती है इसलिये वादीगण उक्त विधि विरूद्ध, हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के विरूद्ध भरे गये नामांतकरण संख्या 790 मौजा सांवरीज को अपने खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध शुन्य एवं बेअसर घोषित करवाकर उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/60–1/60 हिस्सा का खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है। वादी संख्या 2 का सहीं एवं वास्तविक नाम चौथाराम पुत्र मोडाराम है। उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि के राजस्व रेकर्ड में मुतवफी मोडाराम का फौतेदगी नामांतरकरण संख्या 790 भरते समय वादी संख्या 2 का नाम चौथाराम पुत्र मोडाराम के स्थान पर चौखाराम पुत्र मोडराम दर्ज कर दिया है जो सरासर गलत एंव विधि विरूद्ध है जिसको वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी हैं। उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता मोडाराम का दर्ज किया हुआ था जो जमाबंदी चौसाला सम्वत् 2047 से 2050 तक दर्ज रहा मगर बाद में जमाबंदी चौसाला सम्वत् 2051 से 2054 तैयार करते समय पटवारी हल्का ने भूल से वादीगण के पिता का नाम मोडाराम के स्थान पर मेगाराम दर्ज कर दिया है वादी उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि के राजस्व रेकर्ड गलत रूप से दर्ज अपने पिता का नाम मेगाराम को दुरूस्त करवाकर सहीं एवं वास्तविक नाम मोडाराम दर्ज करवाने का अधिकारी है। अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में वादी के वाद का माफिक [illegible] निवेदन किया। बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य जमाबंदी, [illegible] संख्या 790, आधार कार्ड, लेखबद्ध साक्ष्य इत्यादि का अवलोकन किया [illegible] राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती [illegible] में उनके पूर्वज रताराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा रताराम के फौत होने पर उक्त [illegible] उसके तीनों पुत्रों के नाम दर्ज हुई। वादीगण के पिता मोड़ाराम फौत होने पर उनका फौतेदगी [illegible]करण संख्या 790 भरते समय वादी का नाम दर्ज करने से छोड दिया जो दस्तावेजात् से साबित है उक्त भूमि में वादी को 1/60 हिस्सा भूमि बंट में आती है तथा वादी का संख्या 2 का सहीं एंव वास्तविक नाम चौथाराम पुत्र मोड़ाराम है जो राजस्व रेकर्ड में चौखाराम गलत रूप से दर्ज है तथा वादीगण की वदिल्यत भी मोडाराम के स्थान पर मेगाराम गलत रूप से दर्ज है जिसका दुरूस्त करवाने के वादीगण अधिकारी है। वादीगण ने अपने वाद को दस्तावेजात से साबित किया है इसलिये उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि वादीगण एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Vyas
Date: 2022.09.23 12:34:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/60 – 1/60 हिस्सा बनता है तथा वादी संख्या 2 का राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज नाम चौखाराम को दुरूस्त करवाने एवं वादीगण अपनी गलत रूप से दर्ज बल्दियत को दुरूस्त करवाने के हकदार है। वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा ग्राम सांवरीज वर्तमान राजस्व ग्राम शिवनगर पटवार क्षेत्र सांवरीज तहसील फलोदी में खेत खसरा नम्बर 729/1 रकबा 184 बीघा 18 बिस्वा भूमि में वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/60 – 1/60 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खसरान् की भूमि के राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज वादीगण की बल्दियत मेगाराम को दुरूस्त किया जाकर सही एवं वास्तविक नाम मोड़ाराम दर्ज करने एवं वादी संख्या 2 का गलत रूप से दर्ज नाम चौखाराम को दुरूस्त किया जाकर सही एंव वास्तविक नाम चौथाराम पुत्र मोड़ाराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। तहसीलदार फलोदी इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करावे। पत्रावली फैसल सुमार हो, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/09/22 खुले न्यायालय में सुनाया गया

डॉ. अर्चना व्यास (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
फलौदी

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Vyas
Date: 2022.09.23 12:34:29 IST
Reason: SelfAttested